

**न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज0)**  
**पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.**  
**पत्रावली संख्या : 67/24 (प्रा0पत्र)**  
**GCMS No. : 2024/248**

**अनवान्**

1. श्री सोहनलाल दत्तक पिता वज्जा मेघवाल निवासी मेडता तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री बद्रीलाल पिता भेरूलाल प्रजापत निवासी मेडता तहसील मावली।  
2. श्री कालुलाल पिता नानालाल प्रजापत निवासी मेडता तहसील मावली।  
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित—1.** श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री हार्दिक चेचाणी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 2

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**—: : निर्णय : :—**

**दिनांक : 09.09.2025**

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता तहसील मावली की आराजी नम्बर 537, 540, 541, 542 किता 4 कुल रकबा 0.0972 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम पर संयुक्त रूप से अंकित हो मुझ प्रार्थी के नाम पर 1/2 हिस्सा अनुसार अंकित हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित है परन्तु उक्त भूमि का बंटवारा हम पक्षकारान के मध्य हमारे पिताजी के समय से जब से मैं वज्जा जी के गोद आया उससे पूर्व से होकर सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। मुझ प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु विपक्षी संख्या 1 व 2 जिनका उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है न ही इनके कब्जे काश्त में है फिर भी इनकी नियत में फितुर उत्पन्न हो जाने से उक्त मेरे हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए न्यायहित में विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि में से मेरे



हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न कब्जा करे, न किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर परिवारजन आदि से करवावें।

3. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, सुविधा संतुलन भी मेरे पक्ष में है क्योंकि उक्त अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर लगातार निरन्तर विपक्षीगण की जानकारी में काबिज हो काश्त करता आ रहा हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है और यदि विपक्षी संख्या 1 व 2 जिनका उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है उक्त मेरे हिस्से व कब्जे की भूमि में अनावश्यक रूप से दखलन्दाजी कर ताकत के बल पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवा लेगे तो इससे जो क्षति मुझ प्रार्थी को होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर विपक्षी संख्या 10 व 11 को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी।
4. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र कारण अंतिम बार दिनांक 16.10.24 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त मेरे हिस्से व कब्जे की भूमि पर अनाधिकार रूप से दखलन्दाजी कर कब्जा करने की कोशिश की और निर्माण कार्य करवाने पर आमादा हुए और मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हुई उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित भूमि में से मेरे 1/2 हिस्सा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न निर्माण कार्य करवावे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें। विपक्षीगण द्वारा मेरे खातेदारी व कब्जे की 1/2 हिस्सा भूमि में जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर लिया है उसे इन्ही के खर्चे से हटाया जावें।
5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार नाम मात्र का ही है क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में खातेदार कसना पिता भेरा मेघवाल के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित थी जिन्होंने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रूपयो की जरूरत होने पर दिनांक 16.07.1965 को विपक्षी संख्या 9 के दादाजी श्री परताब (प्रताप) पिता हरजा कुम्हार को 600/- रूपया के एवज में अपने हक हिस्से एवं कब्जे की जमीन आराजी नम्बर 541 को बिकाव कर दी और कसना ने परताब से कीमत

का पूरा रूपया प्राप्त कर 1/- एक रूपया के स्टाम्प पर बिकाव की लिखापढी कर अपनी अंगुठा निशानी कर गवाहो की साखे लगवा दी और बिकाव की असल लिखापढी सहित उक्त बिकाव की गई भूमि का कब्जा कसना ने परताब को सौंप दिया जिससे तब से विपक्षी संख्या 9 के दादा परताब कुम्हार अपनी खरीदसुदा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और पूरे जीवनकाल तक अपनी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे तथा चूंकि उक्त खाते की कुलिया जमीन आबादी के बीच में होकर शुरू से ही आबादी एवं निवास के रूप में उपयोग में आ रही थी जिससे विपक्षी संख्या 9 के दादा परताब ने उनके जीवनकाल में अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार काफी लागत लगाकर इस क्रयसुदा भूमि पर मकान निर्मित कराया और उसमें अपने परिवार सहित निवास कर उपयोग उपभोग किया गया तथा विपक्षी संख्या 9 के दादा की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि मय निर्मित मकान सहित उनके पुत्र अर्थात् विपक्षी संख्या 9 के पिता को प्राप्त हुई और विपक्षी संख्या 9 के पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि मय निर्मित मकान सहित विपक्षी संख्या 9 को प्राप्त हुई जिससे तब से ही विपक्षी संख्या 9 इस पर मालिक की हैसियत से काबिज चला आ रहा है और उपयोग उपभोग कर रहा है तथा विपक्षी संख्या 9 द्वारा अपने उक्त मकान मय भूमि पर वर्षों से नियमानुसार बिजली एवं नल कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग में लिये जा रहे हैं। कालान्तर में उक्त आबादी के रूप में उपयोग आ रही भूमि का जो कि विपक्षी संख्या 9 के हिस्से कब्जे की होकर पैतृक है, उसका विपक्षी संख्या 9 ने अपने नाम पर पट्टा बनवाने का आवेदन ग्राम पंचायत मेडता में प्रस्तुत किया तो जिसके पश्चात् ग्राम पंचायत मेडता द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 में पंचायत को दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 9 की पैतृक आबादी भूमि जो ग्राम मेडता की मूल आबादी भूमि में स्थित है, की नियमानुसार विस्तृत जांच की एवं पंचायत ने दिनांक 20.07.2005 को रसीद संख्या 19 के जरिए 200/- दौ सौ रूपया ग्राम पंचायत में जमा कर पंचायत की संकल्प संख्या 4(11) के अनुसरण में दिनांक 20.07.2005 को विपक्षी संख्या 9 की पैतृक आबादी भूमि जिसका नाप पूर्व से पश्चिम 90 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 30 फीट कुल 2700 वर्गफीट होकर वर्तमान पडौस पूर्व-राजकीय नहर, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में सोहनलाल मेघवाल का मकान, दक्षिण में नानालाल प्रजापत का मकान है, का बापी पट्टा संख्या 22670 जारी किया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत मेडता के सरपंच द्वारा उक्त बापी पट्टा का दिनांक 19.08.2005 को पंजीकरण उप पंजीयक मावली में कराया गया। इस प्रकार उक्त भूमि खातेदार कसना जो कि प्रार्थी के दादा थे, ने अपने जीवनकाल में विपक्षी संख्या 9 के दादा को बिकाव कर दी थी जिसके बाद से ही क्रेता परताब एवं उसके वारिसान उक्त भूमि पर पीढी दर पीढी काबिज होकर निवास करते आ रहे हैं और उक्त

- भूमि कसना द्वारा बेचने के बाद से कसना या उसके किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा था, न है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त करने एवं प्रार्थी के कब्जे उपभोग में होने का कथन मिथ्या एवं बनावटी अंकित किया है। उक्त भूमि शुरू से ही आबादी के रूप में उपयोग होती आयी है जिससे इस भूमि पर काश्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब उक्त भूमि प्रार्थी के दादा ने उनके जीवनकाल में ही बेच कर क्रेता को काबिज करा दिया था तो इस पर प्रार्थी का कब्जा होने का कथन स्वयमेव निराधार एवं कपोल कल्पित मात्र है। उक्त भूमि में प्रार्थी का कभी कोई हक अधिकार नहीं रहा है जिससे प्रार्थी उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। वर्तमान में भूमियों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण नाजायज रूप से रूपया ऐठने की नियत से एवं विपक्षी को नाजायज तरीके से तंग व परेशान करने की नियत से मनगढन्त व कपोल कल्पित कथनों के आधार पर प्रार्थी ने यह झूठा दावा आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 9 किसी भी भू भाग पर जबरन कब्जा कर निर्माण करवाने पर आमदा नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 9 सुस्थापित आधिपत्यधारी है और अपने पूर्वज से प्राप्त हुई जायदाद पर मालिक की हैसियत काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है और कुलिया भूमि पर विपक्षी संख्या 9 के दादा के जीवनकाल से ही मकान बना हुआ है तथा विपक्षी संख्या 9 ने अपनी आवश्यकतानुसार और निर्माण भी कराया है और जीर्णशीर्ण हुए भाग की मरम्मत इत्यादि कराई गई है। प्रार्थी ने लोभ लालच के वशीभूत होकर इस प्रकार के मिथ्या कथन अंकित कर यह झूठा दावा माननीय न्यायालय में किया है और सभी वास्तविक एवं सही तथ्यों को छुपाया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी विपक्षी संख्या 9 के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है, न ही पाबंद कराने का अधिकारी है।
6. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफैसी केस है, न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई हक अधिकार नहीं है बल्कि उक्त भूमि प्रार्थी के दादाजी द्वारा विपक्षी संख्या 9 के दादा जी को बेच देने से उक्त भूमि पर प्रार्थी के दादाजी के जीवनकाल से ही विपक्षी संख्या 9 के दादाजी व उनके परिवारजनों का पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा होकर उपयोग उपभोग में है और विपक्षी संख्या 9 अपने परिवारजन सहित वर्षों से निवासरत है और इसका बापी पट्टा भी ग्राम पंचायत मेडता द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार जारी कर रखा है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करने व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में ही

नहीं रही है तो उसके कब्जे की भूमि में विपक्षी संख्या 9 द्वारा दखलन्दाजी करने, ताकत के बल पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराने का कथन स्वयमेव निराधार एवं कपोल कल्पित मात्र हैं। इस प्रकार प्रार्थी विपक्षी के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को भारी क्षति एवं असुविधा होगी और इसकी आड में प्रार्थी विपक्षी के कब्जे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा जिससे विपक्षी के वैध विधिक अधिकारों का हनन होकर इससे विपक्षी को अतुलनीय क्षति एवं अशोधनीय हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो-पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को कोई क्षति या असुविधा न तो हो रही है, न ही भविष्य में होगी।

7. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 16.10.2024 या अन्य किसी दिवस कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी हैं। प्रार्थी ने केवल मात्र दबाव बनाकर विपक्षीगण से नाजायज रूप से रूपया ऐंठना की मन्शा से गलत एवं कपोल कल्पित प्रार्थना पत्र कारण रचित कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्ततः सव्यय खारिज होगा। प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं।
8. **विशेष कथन प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कुलिया भूमि आबादी के मध्य स्थित है जिससे इस भूमि का शुरू से ही आबादी के रूप में ही उपयोग होता आया है और इस भूमि पर अनेको मकानात बने हुए है जिन मकानों में कई परिवार वर्षों से अर्थात् पीढी दर पीढी निवासरत चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 9 भी उसके दादाजी से प्राप्त हुई भूमि मय मकान पर अपने परिवारजन सहित निवासरत है और विपक्षी संख्या 9 इस भूमि पर अपनी आवश्यकतानुसार और निर्माण भी करवाया है और पुराने मकान की मरम्मत वगैरा भी करवाई हैं। इस प्रकार उक्त भूमि आबादी ही है जिससे इस भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज योग्य हैं। वाद वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 9 के दादाजी द्वारा कसना से जो भी खरीदी गई थी उस भूमि का ग्राम पंचायत मेडता द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर एक बापी पट्टा विपक्षी संख्या 9 के पक्ष में जारी किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी एवं हर आम व खास को है फिर भी प्रार्थी ने इन तथ्यों को माननीय न्यायालय से जानबुझकर छुपाया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज योग्य हैं।

9. यह कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 9 के विरुद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन भी उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि विपक्षी संख्या 9 के दादा श्री परताब जी द्वारा पूर्व खातेदार कसना से वर्ष 1965 में खरीदी गई थी जिसके बाद विपक्षी संख्या 9 के दादाजी इस भूमि पर मकान बनाकर निवास करने लग गये और इसके बाद उनके वारिसान पीढी दर पीढी इस भूमि मय निर्मित मकान पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। इस भूमि पर क्षण भर के लिये भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं होता है और कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी ने स्वयं को वज्जा का दत्तक पुत्र होना अंकित कर यह दावा प्रस्तुत किया है जबकि इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई भी ठोस एवं मजबूत दस्तावेज पेश नहीं किया है ऐसी अवस्था में प्रार्थी जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से स्वयं को वज्जा का दत्तक पुत्र होना घोषित नहीं करा देवे तब तक प्रार्थी का राजस्व न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज योग्य हैं।
10. यह कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद में कुल 11 पक्षकारों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है जबकि इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने जानबुझकर विपक्षी संख्या 1, 2 को ही पक्षकार बनाया है जबकि मूल वाद में जो पक्षकार बनाये जाते हैं वह सभी पक्षकार ही प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होते हैं और प्रार्थना पत्र में सभी को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।
11. **विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया** कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के शीर्षक में विपक्षी संख्या 2 के रूप में कालुलाल पिता नानालाल प्रजापत (कुम्हार) को पक्षकार बनाया गया है और इसी नाम का सम्मन प्रार्थी द्वारा मुझ विपक्षी पर तामील कुलिन्दा के जरिए तामील कराया गया है जिससे यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुझ विपक्षी के खिलाफ ही यह दावा किया है किन्तु प्रार्थी द्वारा जानबुझकर शीर्षक में मेरा सही नाम किशनलाल पिता मोतीलाल प्रजापत (कुम्हार) अंकित न कर मनमाने ढंग से दाद प्राप्त करने एवं मुझे नुकसान पहुंचाने के मकसद से किसी कालुलाल पिता नानालाल प्रजापत का गलत नाम शीर्षक में अंकित कर दिया है जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति न तो वहां पर निवासरत है, न ही इस भूमि से ऐसे नाम के व्यक्ति का कोई सरोकार रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जानबुझकर यह लापरवाही की गई है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

12. **जवाब पेश कर निवेदन किया कि** प्रार्थी उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार नाम मात्र का ही है क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में खातेदार कना, वजा पिता खुमा मेघवाल के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित थी जिन्होंने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रूपयों की जरूरत होने पर विपक्षी संख्या 10 के फुफाजी श्री हरलाल पिता नाथु कुम्हार को एवं भतीजा मोती पिता रामचन्द्र कुम्हार को 400/- रूपया के एवज में अपने हक हिस्से एवं कब्जे की जमीन आराजी नम्बर 542 (जिसके लिखापढी में अंकित अनुसार पडौस पूर्व-नहर तथा लोगर मेघवाल का खेत, पश्चिम-रास्ता तथा मन्दिर, उत्तर-कना, वजा पिता खुमा मेघवाल की कृषि भूमि, दक्षिण-गोपाजी कुम्हार) को बिकाव कर दी और कना, वजा ने हरलाल व मोती से कीमत का पूरा रूपया प्राप्त कर दिनांक 24.12.1963 को खरीदे हुवे 12/- बारह रूपया के स्टाम्प पर दिनांक 27.02.1964 को बिकाव की लिखापढी कर अपनी-अपनी अंगुठा निशानी कर गवाहो की साखे लगवा दी और बिकाव की असल लिखापढी सहित उक्त बिकाव की गई भूमि का कब्जा कना, वजा ने हरलाल व मोती को सौंप दिया जिससे तब से विपक्षी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी हरलाल व मेरे पिता मोती अपनी खरीदसुदा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और अपने पूरे जीवनकाल तक अपनी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे तथा चूंकि उक्त खाते की कुलिया जमीन आबादी के बीच में होकर शुरू से ही आबादी एवं निवास के रूप में उपयोग में आ रही थी जिससे विपक्षी संख्या 10 के पूर्वाधिकारी हरलाल व दूसरे क्रेता पिता मोती (जो विपक्षी संख्या 2 के पिता है) ने उनके जीवनकाल में अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार काफी लागत लगाकर इस क्रयसुदा भूमि पर मकान निर्मित कराये और उनमें अपने-अपने परिवार सहित निवास कर उपयोग उपभोग किया गया तथा विपक्षी संख्या 2 इस पर मालिक की हैसियत से काबिज चला आ रहा है और उपयोग उपभोग कर रहा है एवं केन्द्र सरकार की प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत विपक्षी संख्या 2 को इस भूमि पर मकान निर्मित करने हेतु नियमानुसार अनुदान राशि भी प्रदान की गई है जो तथ्य रिकोर्डेड है तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने उक्त मकान मय भूमि पर वर्षों से नियमानुसार बिजली एवं नल कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग में लिये जा रहे है। उक्त आबादी के रूप में उपयोग आ रही भूमि जो कि विपक्षी संख्या 2 के हिस्से कब्जे में होकर उसकी पैतृक है उसका विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने नाम पर पट्टा बनवाने का आवेदन भी ग्राम पंचायत मेडता में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। विपक्षी संख्या 2 के इस भूमि पर बने मकान के पास ही स्थित अन्य आराजीयात पर प्रार्थी, उनके समाजजनों तथा विपक्षी संख्या 1 के पूर्वजो के वक्त से मकान बने होकर निवासरत है और उस मकान का ग्राम पंचायत मेडता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है और उस पट्टे की कार्यवाही में इस आबादी भूमि को ग्राम मेडता

की मुल आबादी भूमि में स्थित होने की ताईद करते हुए पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि के सहखातेदारों ने अपने जीवनकाल में ही उनके हक हिस्से की भूमि को विपक्षी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी हरलाल व मेरे पिता मोती को बिकाव कर दी थी जिसके बाद से ही क्रेता हरलाल एवं मोती उनके वारिसान उक्त भूमि पर पीढी दर पीढी काबिज होकर निवास करते आ रहे है और उक्त भूमि कना, वजा द्वारा बेचने के बाद से कना, वजा या उसके किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा था, न हैं। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त करने एवं प्रार्थी के कब्जे उपभोग में होने का कथन मिथ्या एवं बनावटी अंकित किया हैं। उक्त भूमि शुरू से ही आबादी के रूप में उपयोग होती आयी है और इस भूमि पर बने मकानों के पट्टे भी ग्राम पंचायत मेडता द्वारा समय समय पर जारी किये गये हैं। ऐसी अवस्था में इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी का इस जमीन पर कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है, न वर्तमान में हैं। इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने का कथन प्रार्थी ने कपोल कल्पित अंकित किया हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी का कभी कोई हक अधिकार नहीं रहा है जिससे प्रार्थी उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से विभाजन कराने का अधिकारी नहीं हैं। वर्तमान में भूमियों की कीमतों में वुद्धि होने के कारण नाजायज रूप से रूपया ऐंठने की नियत से एवं विपक्षी को नाजायज तरीके से तंग व परेशान करने की नियत से मनगढन्त व कपोल कल्पित कथनों के आधार पर प्रार्थी ने यह झूठा दावा आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है तथा प्रार्थी ने मुझ विपक्षी संख्या 2 के मकान मय भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त दावा करने से पूर्व ही प्रार्थी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मुझ विपक्षी संख्या 2, मेरी पत्नी व मेरे बच्चों के साथ लडाई झगडा किया गया था जिसके सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 2 द्वारा पुलिस थाना डबोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/2024 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 189(2), 190 बी.एन.एस., 2023 के तहत दर्ज कराई गई जिसमें पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चालान पेश किया गया जो वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब मावली में विचाराधीन हैं। उक्त फौजदारी कार्यवाही से अपना बचाव करने की नियत से यह मिथ्या दावा प्रार्थी द्वारा किया गया जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 किसी भी भू भाग पर जबरन कब्जा कर निर्माण करवाने पर आमदा नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 2 सुस्थापित आधिपत्यधारी है और अपने पूर्वाधिकारी से प्राप्त हुई जायदाद पर मालिक की हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है और कुलिया भूमि पर विपक्षी संख्या 2 के मौरूस के जीवनकाल से ही मकान बना हुआ है तथा विपक्षी संख्या 2 ने अपनी आवश्यकतानुसार ओर निर्माण भी कराया है और जीर्णशीर्ण हुए भाग की मरम्मत इत्यादि कराई गई है। प्रार्थी ने लोभ लालच के वशीभूत

होकर इस प्रकार के मिथ्या एवं कपोल कल्पित कथन अंकित कर यह झूठा दावा माननीय न्यायालय में किया है और सभी वास्तविक एवं सही तथ्यों को छुपाया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है, न ही पाबंद कराने का अधिकारी है।

13. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफैसी केस है, न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई हक अधिकार नहीं है बल्कि कना, वजा पिता खुमा मेघवाल द्वारा उनके हिस्से की भूमि आराजी नम्बर 542 को विपक्षी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी हरलाल तथा मोती को बेच देने के बाद से ही हरलाल व मोती उक्त भूमि पर मकान बना निवास करने लगे। हरलाल के हिस्से का भू भाग मय मकान विपक्षी संख्या 2 को प्राप्त हुआ एवं मोती का वारिस भी विपक्षी संख्या 2 ही है जिससे मोती का हिस्सा भी विपक्षी संख्या 2 को ही प्राप्त हुआ जो वर्षों से विपक्षी संख्या 2 व उसके परिवारजनों के कब्जे उपयोग उपभोग में है और उक्त भूमि पर बने मकान पर विपक्षी संख्या 2 अपने परिवारजन सहित वर्षों से निवासरत है और आज भी वही निवास कर रहा है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करने व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में ही नहीं रही है तो उसके कब्जे की भूमि में विपक्षी संख्या 2 द्वारा दखलन्दाजी करने, ताकत के बल पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराने का कथन स्वयंमेव निराधार एवं कपोल कल्पित मात्र हैं। इस प्रकार प्रार्थी विपक्षी के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को भारी क्षति एवं असुविधा होगी और इसकी आड में प्रार्थी विपक्षी के कब्जे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा जिससे विपक्षी के वैध विधिक अधिकारों का हनन होकर इससे विपक्षी को अतुलनीय क्षति एवं अशोधनीय हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो-पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को कोई क्षति या असुविधा न तो हो रही है, न ही भविष्य में होगी।

14. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण विरुद्ध दिनांक 16.10.2024 या अन्य किसी दिवस कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी है क्योंकि इस दावों के पूर्व ही दिनांक 12.07.2024 को रात 9:30 बजे प्रार्थी ने उसके सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्षी संख्या 10, उसकी पत्नी व बच्चों के साथ लडाईं झगडा किया गया था ताकि वे विपक्षी संख्या 10 के मकान व भूमि पर जबरन कब्जा कर सके जिसका मुकदमा भी विपक्षी संख्या 10 द्वारा पुलिस थाना में किया गया। प्रार्थी ने केवल मात्र दबाव बनाकर विपक्षी से नाजायज रूप से रूपया ऐंठना की मन्शा से एवं हुई फौजदारी कार्यवाही से

बचने की नियत से गलत एवं कपोल कल्पित प्रार्थना पत्र कारण रचित कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र कारण के अभाव में अन्ततः सव्यय खारिज होगा। प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं।

15. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन** किया कि वाद वर्णित कुलिया भूमि आबादी के मध्य स्थित है जिससे इस भूमि का शुरू से ही आबादी के रूप में ही उपयोग होता आया है और इस भूमि पर अनेको मकानात बने हुए है जिन मकानों में कई परिवार वर्षों से अर्थात् पीढी दर पीढी निवासरत चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 2 भी उसके पूर्वाधिकारी हरलाल से प्राप्त हुई भूमि मय मकान पर अपने परिवारजन सहित निवासरत है और विपक्षी संख्या 2 ने इस भूमि पर अपनी आवश्यकतानुसार ओर निर्माण भी करवाया है और पुराने निर्माण की मरम्मत वगैरा भी करवाई है। इस प्रकार उक्त भूमि आबादी ही है जिससे इस भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज योग्य हैं। वाद वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी द्वारा मु. कना, भाई वजा से जो भूमि खरीदी गई थी उस भूमि का पट्टा बनवाने हेतु विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत मेडता में नियमानुसार आवेदन कर रखा है जो कि जैरकार्यवाही है तथा इसी भूमि के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 2 को केन्द्र सरकार की प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत अनुदान भी प्रदान किया है जिसकी जानकारी प्रार्थी एवं हर आम व खास को है फिर भी प्रार्थी ने इन तथ्यों को माननीय न्यायालय से जानबुझकर छुपाया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज योग्य हैं।
16. यह कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन भी उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी द्वारा पूर्व खातेदारों से वर्ष 1964 में खरीदी गई थी जिसके बाद विपक्षी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी इस क्रयसुदा भूमि पर मकान बनाकर निवास करने लग गये और इसके बाद विपक्षी संख्या 2 इस भूमि मय निर्मित मकान पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस भूमि पर क्षण भर के लिए भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं होता है और कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।
17. यह कि प्रार्थी ने स्वयं को वज्जा का दत्तक पुत्र होना अंकित कर यह प्रार्थना पत्र व दावा प्रस्तुत किया है जबकि इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई भी ठोस एवं मजबूत दस्तावेज पेश नहीं किया है ऐसी अवस्था में प्रार्थी जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से स्वयं को

वज्जा का दत्तक पुत्र होना घोषित नहीं करा देवे तब तक प्रार्थी का राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा मूल वाद में कुल 11 पक्षकारों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है जबकि इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने जानबुझकर विपक्षी संख्या 1, 2 को ही पक्षकार बनाया है जबकि मूल वाद में जो पक्षकार बनाये जाते है वह सभी पक्षकार ही प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होते है और प्रार्थना पत्र में सभी को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

18. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2025 (2) Page 831, RRT 2023 (2) Page 1127, RRT 2022 Page 1145, RRT 2023 (2) Page 919, RRD 1993 Page 94, RRD 1995 Page 307, RRD 1994 Page 771, RRD 1994 Page 770 पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

19. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :-

1. **प्रथम दृष्टया मामला-** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विपक्षीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण के मकान बने होकर पूर्वजो के समय से निवास करते आ रहे हैं इसलिए प्रार्थी, विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है परन्तु विपक्षीगण का मौके पर कब्जा होकर पूर्वजो के समय से ही मकान बने होकर निवास करने एवं ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में पट्टा

निष्पादित करने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पर मकानात बने होकर विपक्षीगण निवासरत हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी उस पर खेती करता आ रहा हो। विपक्षीगण का कब्जा होकर मकान बने होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध में निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन— प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षीगण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। मौके पर विपक्षीगण के मकान बने होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। विपक्षीगण के मकान बने होकर निवासरत होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

3. अपूरणीय क्षति का बिन्दू— प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण के मकान बने होकर निवास करने से यदि विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षीगण को मकान मरम्मत आदि करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के विरुद्ध में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध में निर्णित किया जाता है।

20. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 608 पर दर्ज आराजी नम्बर 537, 540, 541, 542 किता 4 कुल रकबा 0.0972 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि मे से आराजी नम्बर 537 रकबा 0.0405 हेक्टेयर किस्म मकान दर्ज है तथा उक्त आराजी

नम्बर पर विपक्षीगण के मकान बने होकर पीढी दर पीढी निवास करते आना बताया है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भी यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा होकर ग्राम पंचायत मेडता द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में पट्टे जारी किये हुए है। यदि मान भी लिया जावे कि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक स्वामित्व नहीं है एवं विपक्षीगण अतिक्रमी है तो प्रार्थी को चाहिए था कि वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर बेदखली की कार्यवाही करे। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण का पाबंद करवाना चाहता है परन्तु मौके पर विपक्षीगण के मकान होने से यदि विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा विपक्षीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि ग्राम पंचायत मेडता द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 29.08.2005 को जारी किया गया था जिसे लगभग 20 वर्ष का समय हो चुका है यदि प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात बाबत कोई ऐतराज था तो इतना समय व्यतीत होने के बाद भी उक्त पट्टे की अपील क्यों नहीं की। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्जा होकर मकान बने हुए हैं। इस प्रकार विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

### **—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**  
सहायक कलक्टर  
**(SDO) मावली**